



## “डॉ० अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन”

□ डॉ० अतुल कुमार यादव

डॉ० अम्बेडकर मूलतः अर्थशास्त्री थे। उनका आर्थिक चिन्तन उनके समेकित सामाजिक चिन्तन का एक पक्ष है, जो कि उनके यथार्थ के अनुभव से उद्घृत है। उन्होंने पाया कि वर्ण, जाति और जजमानी द्वारा संचालित हिन्दू समाज की पारम्परिक सामाजिक-आर्थिक ढाँचा न केवल अन्यायपूर्ण है अपितु अवैज्ञानिक भी है। प्रगति की दौड़ एवं समाज के सन्तुलन में, विकास में सबकी भागीदारी आवश्यक है। अम्बेडकर का मानना था कि जिस हिन्दू ढाँचे पर सामाजिक संरचना आधारित उसमें व्यक्ति अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुकूल व्यवसाय चुनने की आजादी नहीं है। जाति केवल व्यक्ति के पेशे का निःधारण नहीं करती है, अपितु पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसे अपने पेशे से बाँध देती है। ऐसे समाज में वे लोग लाभान्वित होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः न तो भागीदार होते हैं; और न ही कोई शारीरिक श्रम करते हैं। वे दूसरों के पसीनों पर अपने वैभव का महल बनाते हैं; और सवर्णों की सेवा करने वाले, दिन रात पसीने बहाने वाले दलित को इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है कि वह इज्जत की रोटी खा सके।

वर्ण एवं जाति-व्यवस्थाओं का जो श्रम विभाजन है, वह अस्वाभाविक एवं दोषपूर्ण है। अम्बेडकर ने स्पष्टः कहा था “चतुर्वर्ण, श्रम विभाग नहीं है। यदि ऐसा होता, तो इसमें श्रमिकों को स्वेच्छा से अपने पेशे चुनने का अधिकार होता। जो जैसा व्यवसाय चुनता, उसके अनुरूप उसे समाज में मान्यता मिलती, किन्तु ऐसा नहीं है। विद्वान बनिया, बनिया ही रहता है। वह ज्ञान प्रधान ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण यदि कृषि करता है, तो वह वैश्य नहीं, ब्राह्मण ही रहता है।” इसलिये चतुर्वर्ण, श्रम विभाग नहीं है। यह श्रमिकों का विभाजन है, जो जन्मजात रूढ़ है, जो जन्म से मृत्यु पर्यन्त व्यक्ति की देह में चिपका ही नहीं, वरन् देह में समाया रहता है, और धर्म बन जाता है। हिन्दू ही विश्व में केवल ऐसे लोग हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था कार्मिक का कार्मिक से सम्बन्ध को धर्म द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है और पवित्र, शाश्वत एवं अनु-उलंघनीय बताया गया है।

अम्बेडकर ने महसूस किया कि जब तक दलितों के विरुद्ध आर्थिक शोषण होता रहेगा; सामाजिक

असमानता बनी रहेगी। उनका यह भी तर्क था कि चूँकि अछूत दलित वर्गों के लिये अनेकों व्यवसायों पर प्रतिबन्ध है, इसलिए वे निर्धन एवं कमजोर हैं। प्रायः उनसे शारीरिक श्रम लिया जाता है, कृषि योग्य भूमि का उचित बंटवारा न होना भी दलित वर्गों की गरीबी का मुख्य कारण रहा है। वे मानते थे कि जमींदारी प्रथा के चलते कृषकों की गरीबी दूर नहीं की जा सकती। जब तक भू-स्वामी बने रहेंगे, वे भूमिहीन कृषक भी बने रहेंगे, वे जमींदारी प्रथा के खात्मे के धुर समर्थक थे। अम्बेडकर की धारणा थी कि सहकारिता पर आधारित खेती से किसानों की दशा सुधर सकती है। किन्तु कुछ दिनों बाद उन्हें भ्रम हुआ कि इस प्रथा का रूख वैज्ञानिक समाजवाद की ओर चला जायेगा और साम्यवादी तरीके उन्हें पंसद नहीं थे। फलतः नेहरू की कृषिनीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही उन्होंने भरोसा किया।

वास्तव में, उनके विभाग में एक ऐसे आर्थिक परिवेश की कल्पना थी, जिसके द्वारा कृषि एवं उद्योग के उत्पादन में सभी की भागीदारी हो एवं दरिद्रता

का विनाश हो सकें किन्तु सबसे पहले अछूतोद्धार, उनकी मुख्य समस्या थी, और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आर्थिक परिवर्तनों की बात की। वे उस आर्थिक व्यवस्था को अवांछनीय मानते थे, जिससे दलितों के हितों का सम्पादन न हो। अम्बेडकर ने कहा था कि "जाति भावना से आर्थिक विकास रूकता है। इससे वे स्थितियाँ पैदा होती हैं, जो कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में सामूहिक प्रयत्नों के विरुद्ध है। जाति-पाति के रहते हुये ग्रामीण विकास समाजवादी सिद्धान्तों के विरुद्ध रहेगा।" उनका मानना था कि पूंजीवाद, आर्थिक विषमता उत्पन्न करता है, साम्यवाद, असमानता और शोषण को समाप्त करता है लेकिन मजदूर की इच्छा का हनन भी करता है। स्वतंत्रता एवं समानता समाजवाद से ही संभव है। समाज के बहुसंख्यक कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिये अम्बेडकर ने संविधान में समाजवाद को सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की थी। वे कृषि को राज्य उद्योग के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे और उनका मानना था कि निजी क्षेत्र से औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है।

अम्बेडकर श्रम की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनकी दृष्टि से हड़ताल श्रमिक का वह अधिकार है, जिसे वह किसी भी मनचाही शर्त पर काम किये जाने के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। अम्बेडकर नये दृष्टिकोण को अपनाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि रूसी साम्यवाद मात्र एक धोखा है, दरिद्रता समाज में सदैव रही है, और रहेगी। यहाँ तक कि रूस में भी दरिद्रता है किन्तु दरिद्रता की वजह से मानव स्वतंत्रता की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। असल में अम्बेडकर का विचार था कि मूलभूत सुधारों को लागू किये बिना आर्थिक सुधारों को लागू करना कठिन है।" रूसी साम्यवाद के विरोध का कारण अम्बेडकर की कुण्ठा भी थी और बौद्ध धर्म के प्रति लगाव भी। सम्पत्ति संग्रह की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखकर व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध वे महात्मा बुद्ध के उपदेशों के अनुरूप कराना चाहते थे जो कि मात्र एक छलावा था और अव्यवहारिक भी। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकार के रूप में

अवसर की समानता, व्यवसाय चुनने की छूट और शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया जो कि परम्परागत जातीय आधार को नष्ट करते हैं। अन्ततः कहा जा सकता है कि अम्बेडकर की अर्थशास्त्र के प्रति गहरी रुचि थी। सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने के लिये जो आर्थिक चिन्तन उनके पास था, वह समाजवादी एवं समय सापेक्ष था। उनका मानना था कि "धर्म, सामाजिक परिस्थिति और सम्पत्ति सभी समान रूप से शक्ति और सत्ता के स्रोत हैं। इसलिये मूलभूत सामाजिक सुधारों को लागू किये बिना, आर्थिक सुधारों को लागू करना कठिन होगा।"

बाबा साहब के उक्त आर्थिक चिन्तन की सामाजिक परिवर्तन में योगदान के संदर्भ में समसामयिक प्रासंगिकता व सार्थकता यह है कि —

1. जाति पॉति के बन्धनों में शिथिलता, जमींदारी और जजमानी का अन्त, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को प्रोत्साहन, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, निर्बल वर्गों में कृषि योग्य भूमि बँटवारे की दिशा में पर्याप्त कार्य किये जा रहे हैं।
2. आपके आर्थिक चिन्तन को, आज अम्बेडकर ग्रामों के विकास के माध्यम से साकार किया जा रहा है।
3. अन्य वर्गों के साथ एक ही दरी पर बैठकर अपने विकास के निर्णय लेने, विकास कार्य कराने के अवसर सुलभ हुए हैं, जिससे कि निर्बल वर्गों का आर्थिक विकास संभव हो सका है।
4. बौद्धिक क्षमता के आधार पर उच्चतम पदों पर पहुँचने के अवसर सुलभ हुए हैं।
5. शिक्षा पाने के समुचित अवसर पर इस स्वतंत्र भारत के परिवेश ने; उन्हें प्रदान किये हैं।
6. महत्वाकांक्षाओं एवं स्वावलम्बन की भावनाओं में वृद्धि हुई है।  
आदि  
निःसंदेह, समसामयिक सन्दर्भ में डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन तथा पुनर्जागरण का

प्रस्फुटन है, अभी और आवश्यक व अपार सम्भावनायें हैं; अम्बेडकर जी के आर्थिक चिन्तन की दिशा में।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

(1) बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण बाङ्मय—खण्ड 2, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय—खण्ड 10, (पूर्वोक्त)

(3) शर्मा रामशरण, शूदों का प्राचीन इतिहास, 1992, पृ 9।

(4) प्रसाद नर्मदेश्वर, जाति व्यवस्था, 1965 पेज नं. 53।